अत्यावश्यक

ई–मेल / निबंधित

पत्रांक–2 / बी0टी0–11 / 2016–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार, पटना।

प्रेषक,

अच्छे लाल कुमार,
उप निदेशक (नियोजन),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के शेष अवधि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्रांक–1178 दिनांक–12.12.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि निदेशालय नियोजन के प्रासांगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के शेष अवधि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आवंटन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार अधियाचना की मांग की गई थी। साथ ही यह भी निदेशित किया गया था कि वैसे कार्यालय जिनके पास आवश्यकता से अधिक राशि अवशेष है, जिसके व्यय की संभावना नहीं है, वैसे राशि का अंतरिम प्रत्यर्पण अविलम्ब करते हुए संबंधित कोषागार से प्रत्यर्पित राशि मुक्त करवाने की कार्रवाई की जाय।

वर्णित पत्र के संदर्भ में कतिपय कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त हुई है तथा मात्र उप निदेशक (नियोजन), सहरसा कार्यालय से अंतरिम प्रत्यर्पण प्राप्त हुआ है। प्राप्त अधियाचना के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि किस कार्यालय को वास्तव में किस मद में कितनी राशि की आवश्ययकता है, यथा–कार्यालयों से वेतन मद में राशि की मांग की गई है, जबकि जीवन यापन भत्ता मद में आवंटित राशि आवश्यकता से अधिक दिखायी गई है।

आप अवगत हैं कि वेतनादि मद के अंतर्गत किसी मद में राशि कम पड़ने एवं दूसरे मद में राशि उपलब्ध रहने की स्थिति में एक दूसरे मद में राशि कर्णांकित कर निकासी का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में वेतनादि मद में वांछित राशि की गणना वेतनादि मद के अंतर्गत सभी मदों में उपलब्ध राशि को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यदि इस प्रकार गणना के बावजूद राशि आवश्यकता से कम पड़ रही हो तो कम पड़ने वाली राशि की मांग वेतनादि मद के अंतर्गत की जानी चाहिए।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि पूर्व प्रेषित आवंटन से बकाया सहित संभावित व्यय की राशि रखकर शेष राशि का प्रत्यर्पण अविलम्ब करने तथा प्रत्यर्पित राशि संबंधित कोषागार से मुक्त कराने की कार्रवाई अविलम्ब करने का कष्ट करें ताकि राशि का आवंटन आवश्यकता वाले कार्यालयों को किया जा सके। यदि किसी कार्यालय द्वारा अवशेष राशि का अंतरिम प्रत्यर्पण नहीं की जाती है एवं राशि का व्यय भी नहीं किया जाता है, तो उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति के लिए संबंधित पदाधिकारी उत्तरदायी होंगें। साथ ही वैसे कार्यालय जिन्हें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वेतनादि एवं अन्य मदों में चालू वित्तीय वर्ष एवं बकाया व्यय हेतु राशि कम पड़ गई है, उन्हें निदेश दिया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु तथा बकाया व्यय हेतु अलग–अलग अधियाचना अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि उपलब्धता के आधार पर राशि का आवंटन दिया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(अच्छे लाल कुमार)
उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

(कृ0पृ0उ0)

All 17-18 5

ज्ञापांक–2/बी0टी0–11/2016– 59 पटना–01, दिनांक– 19.01.2018

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/01/18

उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।